

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
 (जी.एस.टी.-अनुभाग)
 दिनांक: देहरादून :: ३० मई, 2017

—:: आदेश ::—

NACEN, के पत्र संख्या F.No. II(11)102/2016-17 Dated 22-03-2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजस्व सचिव, भारत सरकार द्वारा व्यापारियों एवं उद्योग कारोबारियों को जी.एस.टी. के प्रति जागरूक करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय व्यापार एवं औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्यशालाएं आयोजित की जानी है जिस हेतु CBEC एवं वाणिज्य कर के अधिकारियों में भी आपस में समन्वय एवं परस्पर सहयोग आवश्यक है इस क्रम में राज्य के प्रत्येक जिले के वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित सूची में वर्णित डिप्टी कमिश्नर को उनके नाम के समुख लिखित जिले में CBEC से समन्वय स्थापित करने, सूचना का आदान प्रदान व प्रशिक्षण कार्यशाला सम्बन्धी समन्वय स्थापित करने हेतु “जिला जी.एस.टी. नोडल अधिकारी” नियुक्त किया जाता है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम, पदनाम व वर्तमान तैनाती का स्थान	जिले का नाम (जिनके नोडल अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं।)
1	श्री अजय कुमार, डिओकमि० –१(प्रेमनगर) देहरादून।	देहरादून।
2	श्री रोशन लाल, डिओकमि० –२ (कनखल) हरिद्वार।	हरिद्वार।
3	श्री संजीव सोलंकी, डिओकमि० क्रष्णकेश।	ठिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।
4	श्री विजय कुमार, डिओकमि० श्रीनगर।	पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली।
5	श्री निशिकान्त सिंह, डिओकमि० (क०नि०) अल्मोड़ा।	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
6	श्री तारकेश्वर मिश्रा, डिओकमि०–२ सितारगंज।	चम्पावत।
7	ठा० श्री रणवीर सिंह, डिओकमि० (क०नि०) पिथौरागढ़।	पिथौरागढ़।
8	श्री राहुल वर्मा, डिओकमि०–१ (कुसुमखेड़ा) हल्द्वानी।	नैनीताल।
9	श्री नवीन सिंह बोरा, डिओकमि०–४(गदरपुर) रुद्रपुर।	उधमसिंहनगर।

उक्त सूची में वर्णित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नाम के समुख लिखित जिलों में जी.एस.टी. के परिप्रेक्ष्य में CBEC से समन्वय स्थापित करने, सूचना का आदान-प्रदान व

प्रशिक्षण कार्यशाला सम्बन्धी समन्वय स्थापित करते हुए, कृत कार्यवाहियों की सूचना उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक सप्ताह के अन्त में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(मासिक-टिकटॉक)

१०८ अ०८ फ़िल्म लोगो

— इंडिया —

(अमित सिंह नेगी)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पू०प०स० /व दिनांक उक्त।

- प्रतिलिपि :-
1- समस्त एडिशनल कमिशनर वाणिज्य कर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- कार्यालय आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, ई-ब्लॉक, नेहरू कालोनी, हरिद्वार रोड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3- सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4- रट्टफ ऑफिसर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यालय के लिये
क्षमता दिलाई जाना
(कृपया ना छिपी)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

प्रभारी के लिये
क्षमता दिलाई जाना
प्रभारी के लिये
क्षमता दिलाई जाना

प्रभारी के लिये छान्दोल

प्रभारी के लिये छान्दोल